भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **2365**
दिनांक 5 मार्च , 2020 / 15 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एयर इण्डिया का विनिवेश

2365. श्री पी° के° कुन्हालीकुट्टी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी इक्विटी शेयर पूंजी का 100 प्रतिशत बेचने के लिए खुली बोली के माध्यम से एयर इण्डिया के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या एयर इण्डिया द्वारा विदेशी विमान कम्पनी के विक्रेताओं/एजेंटों/प्रतिनिधियों को कई करोड़ रुपये का भुगतान करना है जो 5-7 साल से लंबित हैं और यदि हां, तो ऐसे एसएमएसई का नाम क्या है और उनको कम्पनी-वार कितना भुगतान देय है; और

(ग) क्या एयर इण्डिया बिक्री से पहले छोटे उद्यमों के सभी बकाया राशि का भुगतान करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) एअर इंडिया एक्सप्रैस लिमिटेड (एआईएक्सएल) में एआईएल की 100% शेयरधारिता के साथ तथा एअर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस) में 50% शेयरधारिता के साथ एअर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) की 100% इक्विटी शेयर कैपिटल की बिक्री के लिए रुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) 27.01.2020 को जारी कर दिया गया है जो कि मंत्रालय की वेबसाइट (https://www.civilaviation.gov.in) पर मौजूद है। एअर इंडिया को लगातार घाटा हो रहा है तथा यह घाटा काफी अधिक हो चुका है। नीति आयोग ने मई, 2017 में एअर इंडिया की नाजुक वित्तीय स्थिति का जिक्र करते हुए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में रणनीतिक विनिवेश पर अपनी सिफारिशों में कहा था कि एक परिपक्व तथा प्रतिस्पर्धी विमानन बाजार में अतिरिक्त वित्तीय सहायता सरकार के दुर्लभ वित्तीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं होगा।

(ख): स्पेन में निगमित ओर्बेस्ट एयरलाइंस जिसने हज 2012 उड़ानों को परिचालित किया था उसका 222,537 अमेरिकी डॉलर की धनराशि एअर इंडिया पर बकाया है। हज 2012 के परिचालनों के लिए एअर इंडिया ने ओर्बेस्ट एयरलाइन्स के साथ एक समझौता किया था। इसके अलावा, ओर्बेस्ट एयरलाइन्स ने मैसर्स बीकेपी इंटरप्राइजेज को भारत में अपना प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया था। समझौते के अनुसार किराये के निमित्त ओर्बेस्ट एयरलाइन्स की 3,435,419/- अमेरिकी डॉलर की धनराशि बकाया थी। एअर इंडिया द्वारा ओर्बेस्ट

एयरलाइन्स की ओर से वहन किये गये व्यय के निमित्त 937882/- अमेरिकी डॉलर की धनराशि को कम करने के बाद ओर्बेस्ट एयरलाइन्स को कुछ समय में 2,275,000/- अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया तथा शेष 222,537/- अमेरिकी डॉलर का भुगतान ओर्बेस्ट एयरलाइन्स को किया जाना शेष था। उक्त एयरलाइन्स दिवालिया हो गई। एअर इंडिया को इसके दिवालिए पन का पता 11/03/2013 को लगा।

11/03/2013 को मैसर्स बीकेपी इंटरप्राइजेज नें एअर इंडिया से बकाया धनराशि को बीकेपी इंटरप्राइजेज के खाते में डालने का अनुरोध किया। बीकेपी इंटरप्राइजेज नें एअर इंडिया से 18% ब्याज के साथ, 222,537 अमेरिकी डॉलर की माँग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। 28 नवंबर 2018 को माननीय न्यायाधीश ने मैसर्स बीकेपी इंटरप्राइज की याचिका रद्द कर दी।

कानूनी सलाह के अनुसार, एअर इंडिया समझौते के मुताबिक या तो ओर्बेस्ट एयरलाइन्स अथवा परिसमापक अथवा और्बेस्ट एयरलाइन्स के नये निदेशक मंडल को शेष धनराशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है। आगे, इसके अतिरिक्त, एअर इंडिया पर दो एमएसएमई वेंडरों अर्थात वेन्मित्रा सिस्टम्स तथा फ्रीडा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की कुल 2.77 लाख रुपये की धनराशि, 5-7 वर्षों से भी अधिक समय से बकाया है।

(ग) व्यवसाय की सामान्य अवस्था में एअर इंडिया छोटे उद्यमों की सभी बकाया धनराशियों का भुगतान समयबद्ध तरीके से करती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के अंतर्गत एमएसएमई वेंडरों के सभी भुगतान, निर्धारित समय सीमा/इस प्रकार के आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहमत तिथि पर एयर इंडिया द्वारा किए जाते हैं।

*****